छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्रमांक 5217/2005

याचिकाकर्ता

बंशल एकेडमी,
303/1, शास्त्री कॉलोनी,
सेक्टर-19 के पास
जिला फरीदाबाद,
पुराना फरीदाबाद (हरियाणा)
द्वारा समन्वयक,
श्री राकेश बंशल,
पुत्र डॉ. आर. डी. बंशल;
उम्र लगभग 32 वर्ष,
निवासी : 1034, सेक्टर-19,
फरीदाबाद (हरियाणा)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
डी.के.एस. भवन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. कुलपति,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3. कुलसचिव,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)।

4. संचालक,
दूरस्थ शिक्षा संस्थान,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर।

रिट याचिका क्रमांक 5218/2005

याचिकाकर्ता : सनराइज़ एकेडमी ऑफ एजुकेशन,
बिरोजा फैक्ट्री के सामने, कॉलेज रोड,
ऊना (हिमाचल प्रदेश)
द्वारा समन्वयक,
श्री महेन्द्र पाल डोंगरा,
पिता श्री जगदीश चंद;
उम्र लगभग 29 वर्ष,
निवासी : मकान नंबर 412, विकास नगर,
ऊना (हिमाचल प्रदेश)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा सचिव,

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
डी.के.एस. भवन,
रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
3. कुलसचिव,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
4. संचालक,

दूरस्थ शिक्षा संस्थान,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर

<u>रिट याचिका क्र. 5477 / 2005</u>

<u>याचिकाकर्ता</u>

आई.पी. (पी.जी.) कॉलेज,
40, ए/एल- न्यू कॉलोनी,
पलवल, फरीदाबाद,
हरियाणा - 121102
द्वारा समन्वयक
श्री सुरेंद्र सिंह,
पिता श्री जंग सिंह,
उम्र लगभग 29 वर्ष,
मकान क्रमांक 4 ए/एल,
न्यू कॉलोनी, पलवल,
फरीदाबाद (हरियाणा)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u>

1. छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय,
डी.के.एस. भवन,
रायपुर (छ.ग.)

2. कुलपति,
पंडित रविशंकर शुक्ल
विश्वविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)

3. कुलसचिव,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

4. संचालक,
दूरस्थ शिक्षा संस्थान,

2006:CGHC:4412

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर

<u>रिट याचिका क्र. 5478 / 2005</u>

<u>याचिकाकर्ता</u>

एस.डी. महाविद्यालय,
स्टेट बैंक चौराहा,
427, तानसेन नगर,

ग्वालियर (म.प्र.)
द्वारा सचिव, डॉ. छविराम सिंह नरवरिया,
पिता श्री भगवान दास नरवरिया,
उम्र लगभग 30 वर्ष,
निवासी - रेटी फाटक, रामतपुरा,
लोहामंडी, ग्वालियर (म.प्र.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उत्तरवादीगण</u>

1. **छत्तीसगढ़ राज्य,**
   द्वारा - सचिव,
   उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
   डी.के.एस. भवन,
   रायपुर (छ.ग.)

2. **कुलपति,**
   पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
   रायपुर (छ.ग.)
3. **कुलसचिव,**
   पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
   रायपुर (छ.ग.)
4. **संचालक,**
   दूरस्थ शिक्षा संस्थान,
   रायपुर

उपस्थित: श्रीमती फौज़िया मिर्ज़ा, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता। श्री उत्कर्ष वर्मा, राज्य की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता। श्री प्रमोद वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सुमित वर्मा के साथ, उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 22 फ़रवरी 2006 को पारित)

(1) इस मामले के तथ्य और उत्पन्न होने वाले विधिक प्रश्न सभी रिट याचिकाओं में लगभग एक जैसे हैं। अतः इन सभी रिट याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया, एक साथ सुना गया और इन्हें इस समान आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

(2) याचिकाकर्ता शैक्षणिक संस्थान हैं, जो ज़रूरतमंद छात्रों को शिक्षा प्रदान करने हेतु अनेक पाठ्यक्रम चला रहे हैं। याचिकाकर्ता संस्थान छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित हैं। याचिकाकर्ताओं और पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (संक्षेप में 'विश्वविद्यालय') के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ता संस्थानों को विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा संस्थान के सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र/अध्ययन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है और कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपरोक्त समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने शैक्षणिक सत्र 2005 की वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन हेतु दिशानिर्देशों के साथ समय-सारणी याचिकाकर्ता संस्थानों को भेजी। तदनुसार, याचिकाकर्ता संस्थानों ने एम.ए. प्रथम वर्ष, बी.ए. प्रथम वर्ष तथा अन्य परीक्षाओं का आयोजन किया। जब उपरोक्त परीक्षाओं के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही थी, तब दूरस्थ शिक्षा संस्थान के संचालक ने दिनांक 18.08.2005 को याचिकाकर्ता संस्थानों को पत्र भेजकर निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक सत्र 2005-06 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें और 30.09.2005 को था उससे पूर्व पूर्ण करने का निर्देश दिया था । तदनुसार, याचिकाकर्ता संस्थानों ने प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और अधिकांशतः प्रवेश पूर्ण भी कर लिए।इसी बीच, दूरस्थ शिक्षा संस्थान के संचालक ने अपने पत्र दिनांक 20.09.2005 के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

द्वारा याचिकाकर्ता संस्थानों को 2005-06 के शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया बंद करने का निर्देश दिया और अपने पूर्ववर्ती पत्र दिनांक 18.08.2005 को निरस्त कर दिया। इसके बाद, विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा दिनांक 24.09.2005 को अधिसूचना क्रमांक 1625/**Conf.**/**D.E.**/2005 जारी की गई, जिसके तहत याचिकाकर्ता संस्थानों द्वारा आयोजित एव संचालित सभी परीक्षाओं को सामूहिक नकल के आरोप के कथित आधार पर रद्द कर दिया गया।

(3) इसी चरण में, याचिकाकर्ता संस्थानों ने उक्त संचालक द्वारा दिनांक 20.09.2005 को जारी निर्देश तथा विश्वविद्यालय कुलसचिव द्वारा दिनांक 24.09.2005 को जारी अधिसूचना को रद्द करने और पारिणामिक अनुतोष प्राप्त करने हेतु ये रिट याचिकाएं दायर कीं। साथ ही, उन्होंने अंतरिम राहत हेतु एम.(डब्ल्यू.).पी. याचिकाएं भी दाखिल कीं। इस न्यायालय ने दिनांक 27.10.2005 को पारित अंतरिम आदेश में उत्तरवादीगण को यह निर्देश दिया कि वे संचालक, दूरस्थ शिक्षा संस्थान द्वारा दिनांक 18.08.2005 को जारी पत्र के आधार पर किए गए छात्रों के प्रवेशों में कोई बाधा न डालें। यह अंतरिम आदेश अभी भी लागू है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4). विश्वविद्यालय और इसके अधिकारियों की ओर से रिट याचिकाओं का विरोध करते हुए जवाबदावा दाखिल किया गया है। जवाबदावा में, याचिकाकर्ता संस्थानों द्वारा आयोजित और संचालित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की विश्वविद्यालय की कार्रवाई का बचाव तर्क देकर किया गया है कि इन याचिककर्ता संस्थाओ द्वारा आयोजित एवं संचालित परीक्षाओ में सामूहिक नकल हुई थी। वैकल्पिक रूप से यह भी तर्क दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य* 2005 AIR SCW 1168** के मामले में दिए गए निर्णय तथा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा *7* के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर डिस्टेंस एजुकेशन कार्यक्रम को जारी नहीं रख सकता।

(5). मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं। याचिकाकर्ता संस्थानों की ओर से श्रीमती फौज़िया मिर्ज़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संस्थान दुरस्थ शिक्षा संचालक द्वारा जारी निर्देश और विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा दिनांक 24.09.2005 को जारी की गई अधिसूचना, यदि किसी अन्य आधार पर नहीं, तो प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन तथा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर ही रद्द किए जाने योग्य हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रक्रिया करने याचिकाकर्ताओं से काफी धनराशि आवेदन शुल्क, कोष निधि आदि के रूप में प्राप्त की है, और अब जबकि विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, उसने याचिकाकर्ताओं से प्राप्त धनराशि वापस करने का कोई विकल्प नहीं चुना है। उन्होंने निष्कर्षतः कहा कि यह कार्रवाई मनमानी अयुक्तियुक्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) दूसरी ओर, राज्य और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित श्री प्रमोद वर्मा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, आक्षेपित कार्रवाई का समर्थन करते हुए यह तर्क देते हैं कि ***प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और अधिनियम की धारा 78 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर दुरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को जारी रखना अवैध होगा, और इसलिए विश्वविद्यालय के पास उक्त कार्यक्रम को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तथापि, अपनी निष्पक्षता के साथ, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि जहाँ तक इन आक्षेपित कार्यवाहियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, उस सीमा तक वे इन आक्षेपित कार्रवाइयों का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं।

(7) मैं यह नहीं मानता कि वर्तमान कार्यवाही में एक से अधिक कारणों से यह व्यापक प्रश्न तय करना आवश्यक है कि क्या विश्वविद्यालय ***प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य*** के निर्णय अथवा अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के मद्देनज़र

छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर दुरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए न्यायसंगत था या नहीं। न्यायालय को ऐसे परिकल्पिक प्रश्नों के समाधान से बचना चाहिए जो इस मामले में निर्णीत होने के लिए आवश्यक नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय द्वारा दुरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को राज्य से बाहर समाप्त किए जाने की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी है। अतः मैं इस मुद्दे को उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही के लिए खुला छोड़ता हूँ।

(8) आक्षेपित कार्यवाहियाँ, अर्थात् दुरस्थ शिक्षा संस्थान के संचालक द्वारा 20.09.2005 को जारी निर्देश और विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा 24.09.2005 को जारी अधिसूचना, जिनके द्वारा याचिकाकर्ता संस्थानों द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं को रद्द किया गया ।प्रशासनिक कार्यवाहियों को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरते। प्रभावित पक्ष को सुने बिना निर्णय लेना, संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित निष्पक्षता की भावना के विरुद्ध है। यह सर्वविदित है कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की इन आक्षेपित कार्यवाहियों से याचिकाकर्ताओं प्राधिकारियों के अधिकार और हित प्रभावित होते हैं। विश्वविद्यालय ने न केवल आवेदन आमंत्रित किए, बल्कि याचिकाकर्ता संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ताओं-संस्थानों को उनके द्वारा प्रवेश दिए गए छात्रों के लिए उन्हें पाठ्यक्रम संचालित करने और परीक्षाएँ आयोजित करने की अधिकृत की गई थी । विश्वविद्यालय द्वारा 2005-06 की शैक्षणिक सत्र के लिए स्वयं निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले प्रवेश लेने का निर्देश भी दिया गया था। उसे सामूहिक नकल के कथित आधार पर सभी याचिककर्ताओं द्वारा आयोजित अवाम संचालित सभी परीक्षाओं को अचानक रद्द नहीं करना चाहिए था। विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा 24.09.2005 जाती अधिसूचना में सामूहिक नकल के आरोपों का कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि 20.09.2005 के पत्र और वि.व. के कुलसचिव द्वारा 24.09.2005 की अधिसूचना जारी करने से पूर्व विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता संस्थानों को सामूहिक नकल के आरोप के संबंध में जानकारी प्राप्त करने या उनका कथन स्पष्टीकरण के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया। अतः यह कार्रवाई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"किसी को सुने बिना दंडित करना" के समान है। यह कार्रवाई न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि अनुच्छेद 14 की निष्पक्षता, तर्कसंगतता और गैर-मनमानी की आवश्यकताओं का भी स्पष्ट उल्लंघन है। इन्हीं संक्षिप्त आधारों पर, मैं इन रिट याचिकाओं को स्वीकार करता हूँ और विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा दिनांक 24-09-2005 को जारी आक्षेपित अधिसूचना तथा संचालक, दुरसथ द्वारा 20-09-2005 को जारी आक्षेपित निर्देश को निरस्त करता हूँ, जिनके विरुद्ध डब्ल्यूपी क्रमांक 5217/2005 और 5218/2005 दायर की गई थीं। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में हुए, पक्षकार अपने-अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। सामूहिक नकल के कारण परीक्षाओं को रद्द करने के अलावा, सामूहिक नकल का विवरण नहीं दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

मुख्य न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगाऔर कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अस्वीकरण: विवेकानंद समद्दार द्वारा अनुवादित।